OFFICE NOTE SHEET

29-7-24 वकील वादी एवं वादी प्रतिनिधि उपस्थित। वाद का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी वाद का कोई कारण पूरा नहीं है। प्रस्तावना अधिनियम 1908 की धारा 11 में वर्णित की गई है। प्रस्तावना धारा 11 के तहत वाद एकमात्र प्रारंभिक अभिलेखाधार नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner